न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 126/2025 G.C.M.S. No. 2025/865 दर्ज दिनांक : 15.01.2021

अपीलार्थी:

1. पर्बतसिंह पुत्र रतनसिंह, जाति राजपूत, निवासी पैरवा, तहसील बाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. लक्ष्मणसिंह पुत्र रतनसिंह
2. भवानीसिंह पुत्र रतनसिंह
3. जितेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह, तमाम जातिगण राजपूत, निवासी पैरवा, तहसील बाली व जिला पाली।
4. अभयसिंह पुत्र रतनसिंह
5. नरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह
6. गोविंदकंवर पुत्री रतनसिंह, धर्मपत्नी नरपतसिंह करणोत
7. किशनकंवर पुत्री रतनसिंह, धर्मपत्नी स्व. किशनसिंह
8. राजकंवर पुत्री रतनसिंह, धर्मपत्नी भवानीसिंह, तमाम जातिगण राजपूत, निवासी पैरवा, तहसील बाली व जिला पाली।
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली।
10. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 2025/593 बअनवान लक्ष्मणसिंह वगैरह बनाम पर्बतसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.10.2025

पैरोकार–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री सुतीक्ष्ण राजपुरोहित, श्री प्रमेश कीर, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 2025/593 बअनवान लक्ष्मणसिंह वगैरह बनाम पर्बतसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.10.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 3 ने अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 से 8 के विरूद्ध एक दावा साहखातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जो प्रकरण तारीख 03.10.2025 को राजस्व मूल वाद संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/592 दर्ज किया व उसके

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन पेश हुआ, जो भी दिनांक 03.10.2025 को ही दर्ज कर एकतरफा आदेश पारित किया, जिसका ऐसा कोई स्पष्ट कारण प्रकट नहीं हैं कि मामला आवश्यक प्रकृति का अमुख कारण से जल्दी तौर पर आदेश देना आवश्यक है। केवल आवश्यक प्रकृति का लिखकर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के कब्जे व खातेदारी कुंए व जमीन व कुंए पर लगे बिजली कनेक्शन से वंचित किया है। अपीलाण्ट खातेदार कृषक है, जिसके कब्जे में पैरवा के खसरा नम्बर 111, 112, 113, 115, 122, 107, 116 कुल क्षेत्रफल 10.2200 हैक्टेयर की कृषि भूमि अपीलाण्ट के कब्जेकाश्त में हैं। वक्त सीलिंग प्रकरण लागू हुआ, उस समय से अपीलाण्ट इन खसरों की भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहा है, जिसे अस्थायी निषेधाज्ञा से नहीं रोका जा सकता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरुद्ध आदेश पारित किया गया है। कानून की यह भी मंशा है, न्यायालय को प्रतीत होता है कि व्यादेश देने का उद्देश्य निष्फल हो जायेगा, तब आदेश करते वक्त न्यायालय यह निर्देश देगा कि व्यादेश के आवेदन की सूचना विरोधी पक्षकार को दे दी जाये। लेकिन यहां इस तरह की परिस्थिति कहीं उल्लेखित नहीं की हैं। इस कारण भी अस्थायी निषेधाज्ञा देने का न तो कोई गम्भीर कारण था, न ही आवश्यक प्रकृति व्यादेश देने संबंधी कोई उल्लेख ही था, ऐसी सूरत में इस तरह का व्यादेश देकर अपीलाण्ट के मूल अधिकारों पर कुठाराघात किया है। अपीलाण्ट के कब्जे व खातेदारी भूमि में रबी की फसल बुआई का समय चल रहा है, मौके पर राई की फसल बो रखी हैं, जिसको सिंचित करना भी आवश्यक हो गया है। लेकिन अस्थायी निषेधाज्ञा के कारण रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 3 अपीलाण्ट के काश्त करने में अवरोध पैदा कर रहे हैं, इस कारण उक्त आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश आपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलांट एवं दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरुद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट सहित अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. पत्रावली के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 111, 112, 113, 115, 122, 107, 116 का अभिलिखित खातेदार है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा अपीलांट के नाम से जारी कृषि विद्युत कनेक्शन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी में सिंचाई व काश्त आदि की जा रही हैं तथा उपयोग–उपभोग में हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अभिलिखित खातेदार के पक्ष में निहित है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किए बिना तथा प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन जैसे आवश्यक तत्वों का विवेचन किए बिना अपीलाधीन आदेश द्वारा अभिलिखित खातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। जो पुष्टि योग्य नहीं हैं।

3. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी वस्तुतः प्रतापसिंह पुत्र भीमसिंह व रतनसिंह पुत्र प्रतापसिंह की खातेदारी आराजी रही हैं तथा उक्त आराजीयात के संबंध में सीलिंग से संबंधित प्रकरण जैसकार व निर्णित हुए हैं। वादग्रस्त आराजीयात के सीलिंग प्रभावित पूर्ववर्ती खातेदारान द्वारा परिवार के सदस्यों पुत्रों व पौत्रों तथा अन्य के नाम अंतरण आदि किया गया। जिन्हें वादी द्वारा कानूनन अवैध व शून्य मानते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि हमारे विनम्र मत में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह स्पष्ट है कि सीलिंग कार्यवाही के दौरान संबंधित विचारण व अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त आक्षेपित अंतरणों को विधिसंगत मानते हुए ही उक्त अंतरित आराजीयात को सीलिंग कार्यवाही से मुक्त रखा गया था। अतः प्रकरण में प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी वादीगण के पक्ष में निहित नहीं माना जा सकता।

4. चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है तथा मूल अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से निर्णित नहीं किया गया है। अतः इस स्तर पर मूल अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निर्णय अपेक्षित नहीं हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने तथा अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए अपील अपीलांट मंजूर की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय को विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र गुणावगुण के आधार पर विधिनुरूप 60 दिवस में अंतिम रूप से निर्णित किए जाने हेतु निर्देशित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

न्यायालय सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 2025/593 बअनवान लक्ष्मणसिंह वगैरह बनाम पर्बतसिंह वगैरह में पारित आदेश दिनांक 03.10.2025 को अपास्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर 60 दिवस के भीतर विधिनुरूप अंतिम रूप से निस्तारण करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर बाली में दिनांक 25.05.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली